

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 77/19

निर्णय दिनांक:—29-11-2019

1. सिकन्दर अली वल्द अब्दुलरहमान जाति मुसलमान निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट

✓ 2. अपील संख्या 75/19

1. बसकई खातून पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31-10-2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थिति:—

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 31-10-2016 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


रामरतन अपील अधिकारी
बीकानेर

3. दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट सिकन्दर अली द्वारा चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 48/61 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा व अपीलांट बसाई खातून द्वारा चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 87/6 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी पर लेते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु एकमात्र आवेदक होने से उसकी प्राथमिकता आवंटन नियम 13 (ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्च श्रेणी की मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तमाम दस्तावेजी साक्ष्य यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक एवं मतदाता सूची वर्ष 1971, 1984, 1990 व 2014 आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिसके आधार पर अपीलांट वादग्रस्त भूमि के आवंटन का पात्र था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र तो माना है परन्तु वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन नहीं किये जाने का कथन करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि आवेदक अन्यत्र वैकल्पिक आवंटन के पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को तत्समय ही अपीलांट को पात्रता के अनुसार गजट में प्रकाशित अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र तो खारिज कर दिया गया परन्तु अन्य भूमि का आवंटन नहीं किया गया। ऐसीस्थिति में अपीलांट के पास अपील के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर

RAL

अधीनस्थ अपील अधिकारी
बीकानेर



अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-10-2016 के विरुद्ध अपील दिनांक 22-04-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा वन विभाग हेतु आरक्षित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।




विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-10-2016 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 22-04-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट सिकन्दर अली ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 48/61 व अपीलांट बसाईखातून ने चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 87/6 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट्स द्वारा आवेदित रकबा वन विभाग हेतु आरक्षित है।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत



अपील अधिकारी
बीकानेर

रूप से उसकी तामील अपीलान्ट को नहीं करवाई गई है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।



इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक एवं मतदाता सूची वर्ष 1971, 1984, 1990 व 2014 आदि की जाँच करते हुए अपीलान्ट्स की प्राथमिकता तो बताई गई है, परन्तु वादग्रस्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलान्ट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलान्ट अन्यत्र वैकल्पिक भूमि के आवंटन के पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे स्वयं ही पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि का आवंटन अपीलान्ट्स को तत्समय करते हुए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर अन्य भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के पास अपील के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प पेश नहीं होने के कारण अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन की इस्तदुआ की गई है। चूंकि अपीलान्ट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है तथा आदेश जैर अपील में आवेदक को वैकल्पिक आवंटन का पात्र माना गया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलान्धीन आदेश दिनांक 30-10-2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ^{चुगल} ~~उत्तरमढ़~~ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्स को उसकी पात्रता के अनुसार समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।
9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(रामरतन साँकरिया)
राजस्व अपीलान्ट अधिकारी
बीकानेर

